जनसत्ता

निगरानी की सीमा

राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर किसी भी कंप्यूटर की निगरानी जैसे कठोर कदम से मचे बवाल के बाद इस बारे में सरकार ने जो स्पष्टीकरण दिए हैं, उनसे आशंकाओं के बादल छंटेंगे, ऐसी उम्मीद है। गृह मंत्रालय ने 20 दिसंबर को एक आदेश जारी कर देश की दस खुफिया और जांच एजेंसियों को यह अधिकार दिया था कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर वे देशभर में किसी भी कंप्यूटर पर निगरानी रख सकती हैं, उसमें मौजूद जानकारी को देख सकती हैं और उसमें छिपी सूचनाओं को पढ़ सकती हैं। इस आदेश से पहला और दो-टूक संदेश यही गया कि सरकार अब देश के हर नागरिक की निगरानी करेगी, और जांच के नाम पर सुरक्षा और खुफिया एजेंसियां चाहे जिसका कंप्यूटर खंगाल सकेंगी। इसे सीधे-सीधे पुलिसिया राज का आगाज माना गया। और यह सही भी है कि अगर जांच एजेंसियों को ऐसे असीमित और दमनकारी अधिकार मिल जाएंगे तो वे कितनी निरंकुश हो जाएंगी, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। हालांकि सरकारें ऐसे कानूनों और शक्तियों का इस्तेमाल कैसे और किसके लिए करती हैं, यह किसी से छिपा नहीं है। इसलिए सरकार के इस कदम पर देश में चिंता पैदा होना स्वाभाविक ही था।

लेकिन सरकार ने इस बारे में अब सफाई दी है, ताकि लोगों में बैठा खौफ दूर किया जा सके। पहली बात तो यही है कि जांच और खुफिया एजेंसियों को जिस भी कंप्यूटर को जांच के दायरे में लाना होगा उसके लिए पहले गृह मंत्रालय और संबंधित राज्य सरकारों से मंजूरी लेनी होगी। गृह मंत्रालय ने स्पष्ट रूप से कहा है कि किसी भी जांच या खुफिया एजेंसी को इस तरह की जांच के लिए कोई 'पूर्ण शक्ति' या 'विशेष अधिकार' नहीं दिए गए हैं और सभी जांच एजेंसियों को मौजूदा नियमों का ही पालन करना होगा। दरअसल, कंप्यूटर संबंधी जांच के लिए आइटी एक्ट- 2000 में पहले ही पर्याप्त प्रावधान हैं, जिनके मुताबिक ऐसी जांच के लिए पूर्व मंजूरी को अनिवार्य बनाया हुआ है। अब यह बताया जा रहा है कि इन सभी जांच और खुफिया एजेंसियों को इलेक्ट्रॉनिक संचार बीच में रोक कर जानकारी हासिल करने का अधिकार तो 2011 से ही मिला हुआ है।

गौरतलब है कि इस तरह की निगरानी के लिए कानून 2009 में बना था। जाहिर है, इसके लिए मुख्य आधार राष्ट्रीय सुरक्षा के घेरों को मजबूत करना रहा होगा। अगर राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ऐसे कठोर कानून बनते हैं और ईमानदारी से लागू होते हैं तो इसे स्वागतयोग्य कदम माना जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जब कानून बन चुका था तो क्या अब तक जांच और खुफिया एजेंसियों को निहत्था रखा गया था? पिछले कई साल के दौरान तो देश ने कई बड़े आतंकी हमले झेले हैं और कई बार ऐसे हमलों को रोक पाने में सुरक्षा व खुफिया एजेंसियों के बीच तालमेल की कमी पाई गई। ग्यारह दिन पहले इस कानून के प्रावधानों को जिस तरह से लागू किया उससे तो साफ था कि हर नागरिक जांच के दायरे में है, किसी के भी कंप्यूटर की जांच हो सकती है। पहली नजर में तो यही लगा कि ऐसा करने के पीछे मकसद 'खास' लोगों को निशाना बनाना ही होगा। इसीलिए इस पर इतना हंगामा भी मचा। लेकिन सरकार ने जनता के गुस्से को भांप लिया और सख्त प्रावधानों से पीछे हटी है। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अगर ऐसा कानून काम करता है और कारगर होता है तो यह अच्छी बात है, लेकिन अगर यह दमन का हथियार बन जाए, जैसा कि अंदेशा रहा है, लोगों को पुलिसिया राज में जीने को मजबूर कर दे तो इसकी उपादेयता पर उंगलिया तो उठेंगी ही!

अराजकता के पांव

उत्तर प्रदेश में भदोही जिले के गोपीगंज इलाके में जिस तरह एक महिला को बुरी तरह मारने-पीटने और निर्वस्त्र कर गांव में घुमाने की घटना सामने आई है, वह अपने आप में इस बात का सबूत है कि आपराधिक तत्त्वों के भीतर राज्य सरकार और प्रशासन का खौफ नहीं रह गया है। खबरों के मुताबिक अव्वल तो एक सार्वजनिक जगह पर काफी लोगों के बीच गांव के ही एक व्यक्ति ने महिला से छेड़छाड़ की। दूसरे, इसका विरोध करने पर शर्मिंदा होने या माफी मांगने के बजाय उल्टे अपने साथियों के साथ उस महिला के घर पर हमला बोल दिया। महिला बचने के लिए चीखती रही, लेकिन उन लोगों ने उस महिला को बुरी तरह मारा-पीटा और उसके कपड़े फाड़ कर लोगों के बीच घुमाया। सवाल है कि उस गांव या समूचे इलाके में आरोपियों की मनमानी का कैसा राज चल रहा था कि छेड़छाड़ का विरोध करने भर के बदले उन्होंने महिला के खिलाफ इस तरह की बर्बरता की? आखिर उन युवकों के भीतर दमन और उत्पीड़न की यह मानसिकता कहां से पोषित हो रही थी कि यह सब कुछ उन लोगों ने सरेआम किया और यह उन्हें रोकने-टोकने वाला कोई नहीं था? क्या वे वहां मौजूद लोगों को संदेश देना चाह रहे थे कि उनकी मनमर्जी का विरोध करने वालों के साथ ऐसा ही किया जाएगा? यह सब वे किस तरह के भरोसे पर कर पा रहे थे?

विडंबना यह भी है कि गांव के लोग उन दबंगों का विरोध करने या उन्हें रोकने के बजाय चुपचाप यह सब होते हुए देखने या वीडियो बनाने में मशगूल रहे। जाहिर है, समाज से लेकर प्रशासन तक का रवैया सरेआम गुंडागर्दी करने वाले तत्त्वों की मनमानी को और बढ़ावा देता है। जैसी खबरें आईं, उनके मुताबिक आखिर किन वजहों से ऐसा हुआ कि पीड़ित महिला जब अपनी शिकायत लेकर पुलिस के पास कई तो उसने उसे सुनने और उस पर कार्रवाई करने के बजाय उल्टे मामले को रफा-दफा करने की कोशिश की और पहले महिला को घर वापस भेज दिया था? एक समूह के रूप में समाज से लेकर पुलिस-प्रशासन तक के इस रवैए के बीच कमजोर पृष्ठभूमि के परिवार या महिलाएं कैसे खुद को सुरक्षित महसूस करें? क्या यही वजह नहीं है कि अपराधी मानसिकता वाले लोगों का हौसला बेलगाम तरीके बढ़ता जा रहा है? पुलिस और प्रशासन की लापरवाही का हासिल यह है कि अब अराजक तत्त्व खुद पुलिसकर्मियों तक पर हमला करने या उनकी हत्या करने से बाज नहीं आ रहे हैं।

उत्तर प्रदेश में सत्ता में आने से पहले भाजपा ने राज्य के लोगों को अराजकता और आपराधिक तत्त्वों से छुटकारा दिलाने और कानून का राज बहाल करने का भरोसा दिया था। सत्ता में आने के बाद अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई के नाम पर मुठभेड़ों में उन्हें मार गिराने का दावा किया गया। हालांकि उन मुठभेड़ों पर काफी सवाल उठे हैं। इसके अलावा, महिलाओं की सुरक्षा के दावे के साथ शुरुआती दौर में 'एंटी रोमियो स्क्वॉड' का खौफ बनाने की कोशिश की गई। लेकिन हकीकत यह है कि यह समूह भी सिर्फ कुछ युवक-युवतियों को परेशान करने के लिए जाना गया। राज्य में महिलाओं की जिंदगी लगातार जोखिम के बीच घिरती गई है और उनके खिलाफ होने वाले लगभग हर तरह के अपराधों में तेजी से इजाफा हुआ है। यह किस तरह के कानून का राज है, जहां अपराधी तत्त्वों को कोई बाधा महसूस नहीं होती! अगर महिलाओं के खिलाफ राज और समाज में यही तस्वीर बनी रही तो 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' जैसे महत्त्वाकांक्षी नारे का क्या अर्थ रह जाएगा!

कल्पमेधा

चरित्र एक वृक्ष और मान एक छाया है। हम हमेशा छाया की सोचते हैं लेकिन असलियत तो वृक्ष ही है।
-अब्राहम लिंकन

पाक-चीन को चाबहार का झटका

राहुल लाल

चाबहार बंदरगाह भारत के लिए सामरिक और कारोबारी दोनों ही लिहाज से महत्त्वपूर्ण है। इसके बनने के बाद समुद्री रास्ते से होते हुए भारत ईरान में दाखिल हो जाएगा और इसके जरिए अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक के बाजार भारतीय कंपनियों और कारोबारियों के लिए खुल जाएंगे। भारत की पहुंच यूरोपीय देशों के बाजार तक बनने का रास्ता साफ हो जाएगा।

सामरिक दृष्टि से अति महत्त्वपूर्ण ईरान के दक्षिण-पूर्व तट पर स्थित चाबहार बंदरगाह के संचालन की जिम्मेदारी भारत ने संभाल ली है। चाबहार बंदरगाह को लेकर भारत, ईरान और अफगानिस्तान व्यापार व पारगमन गलियारों के मार्गों पर राजी हो गए हैं। पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह के कारण चाबहार बंदरगाह भारत के लिए बेहद अहम है। इसे सामरिक दृष्टि से पाकिस्तान और चीन के लिए भारत का करारा जवाब माना जा रहा है। वर्ष 1947 में देश के विभाजन के बाद पूरे मध्य-पूर्व, मध्य एशिया और यूरोप से भौगोलिक तौर पर अलग हुए भारत ने इस दूरी को पाटने की दिशा में अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। भारत, ईरान और अफगानिस्तान तीनों देशों की चाबहार समझौते के क्रियान्वयन संबंधी समिति की पिछले दिनों चाबहार में पहली बैठक हुई थी। इसी दौरान ईरान ने संचालन की कमान भारत को सौंप दी। इस बंदरगाह के विकास के लिए हालांकि 2003 में ही समझौता हो गया था। चाबहार बंदरगाह भारत के लिए सामरिक और कारोबारी दोनों ही लिहाज से महत्त्वपूर्ण है। इसके बनने के बाद समुद्री रास्ते से होते हुए भारत ईरान में दाखिल हो जाएगा और इसके जरिए अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक के बाजार भारतीय कंपनियों और कारोबारियों के खुल जाएंगे। भारत की पहुंच यूरोपीय देशों के बाजार तक बनने का रास्ता साफ हो जाएगा। इस तरह भारत अब बिना पाकिस्तान गए ही अफगानिस्तान और उससे आगे रूस और यूरोप से जुड़ जाएगा। कांडला और चाबहार बंदरगाह के बीच की दूरी दिल्ली-मुंबई के बीच की दूरी से भी कम है। इसलिए इस समझौते से भारत को पहले वस्तुएं ईरान तक तेजी से पहुंचाने और फिर नए रेल व सड़क मार्ग के जरिए अफगानिस्तान ले जाने में मदद मिलेगी। ईरान के दक्षिणी तट पर सिस्तान-बलूचिस्तान प्रांत में स्थित चाबहार बंदरगाह भारत के लिए रणनीतिक तौर पर उपयोगी है। यह फारस की खाड़ी के बाहर है और भारत के पश्चिमी तट से यहां आसानी से पहुंचा जा सकता है।

भारत के ईरान से अच्छे व्यापारिक रिश्ते रहे हैं। चीन के बाद भारत ईरान के तेल का दूसरा सबसे बड़ा खरीददार है। चाबहार बंदरगाह से ईरान के मौजूदा सड़क नेटवर्क को अफगानिस्तान में जरांज तक जोड़ा जा सकता है, जो बंदरगाह से 883 किलोमीटर दूर है। भारत पहले ही ईरान-अफगानिस्तान सीमा पर जरांज से डेलाराम की 218 किलोमीटर लंबी सड़क को आतंकी साए में बना चुका है। साथ ही, चाबहार से जाहेदान तक रेल मार्ग बिछाने के लिए भारत को जापान ने आर्थिक मदद का भरोसा दिया है। भारत द्वारा निर्मित जरांज-डेलाराम रोड के जरिए अफगानिस्तान के गारलैंड हाईवे तक आवागमन आसान हो जाएगा। इस हाईवे से अफगानिस्तान के चार बड़े शहरों- हेरात, कंधार, काबुल और मजार-ए-शरीफ तक सड़क के जरिए पहुंचना आसान होता है।

पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह के जरिए चीन ने भारत को घेरने की कोशिश की थी। चीन को लगता था कि वह ग्वादर के जरिए यूरोप के देशों तक भारत की पहुंच को रोकने में कामयाब रहेगा, लेकिन ईरान में चाबहार के जरिए भारत ने भी चीन की मंशा को नाकाम कर दिया। भारत की भू-राजनीतिक स्थिति बहुत विशिष्ट है। भारत एशियाई वृत्त चाप के केंद्र में स्थित है, जहां से समूचे एशिया की राजनीति को संचालित और प्रभावित किया जा सकता है। यही कारण है कि ट्रंप ने एशिया यात्रा के दौरान 'एशिया प्रशांत' के स्थान पर 'इंडिया-प्रशांत क्षेत्र' शब्द का प्रयोग किया। अमेरिका के साथ मिल कर हिंद महासागर में तो भारत सामरिक और व्यापारिक दृष्टि से लाभप्रद स्थिति में है, पर भूमिबद्ध मध्य एशिया और पूर्व एशिया से भारत का संपर्क चीन और पाकिस्तान की घेराबंदी के कारण प्रायः अवरुद्ध ही रहा। मध्य एशिया, जहां खनिज और ऊर्जा के प्रचुर भंडार हैं, में रूस और चीन की उपस्थिति प्रमुखता से रही, लेकिन भारत की मौजूदगी नगण्य रही। भारत की 'कनेक्ट सेंट्रल एशिया नीति' इसी स्थिति से उबरने की नीति है। ग्वादर बंदरगाह चीन को मध्य-पूर्व एशिया में प्रवेश की सुविधा देता है। ग्वादर बंदरगाह पर बढ़ती हलचलें भारत के लिए शुभ नहीं हैं, क्योंकि चीन यहां अपना सागरीय सामरिक संचालन केंद्र भी विकसित कर रहा है। ऐसे में भारत के लिए चाबहार बंदरगाह के महत्त्व को समझा जा सकता है। चाबहार बंदरगाह ग्वादर बंदरगाह से महज 72

किलोमीटर की दूरी पर है, उसकी सामरिक भू-राजनीतिक स्थिति ग्वादर से बेहतर है। मध्य एशिया से भौतिक रुप से सक्रिय जुड़ाव की भारत की इच्छा को तब बल मिला जब क्षेत्र के दो प्रमुख देश तुर्कमेनिस्तान और कजाखस्तान ने हाल ही में एक रेलमार्ग का उद्घाटन किया जो ईरान से जोड़ता है।

चाबहार बंदरगाह से भारत के मध्य एशिया संपर्क का अवरोध तो टूटेगा ही, हिंद महासागर में भारत को घेरने की चीन की नीति और उसके एकतरफा 'वन बेल्ट वन रोड' को थोपने के प्रयासों को झटका भी लगेगा। भारत, ईरान और अफगानिस्तान के बीच व्यापारिक सांस्कृतिक संबंधों की नई शृंखला शुरू होगी। इससे इस क्षेत्र में पाकिस्तान और चीन का दबदबा थमेगा। इसमें यदि मध्य एशिया के देशों को जोड़ लें तो फिर यह प्रस्तावना और भी लुभावनी हो जाती है।

चाबहार केवल ग्वादर से भू-राजनीतिक सामरिक दृष्टि से ही बल्कि कई मामलों में श्रेष्ठ है। ग्वादर बंदरगाह से निर्गत व्यापारिक मार्ग एक अशांत क्षेत्र से शुरू होते हुए एक अशांत क्षेत्र में ही प्रवेश करता है। ग्वादर बंदरगाह मकरान तट पर स्थित है जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत का हिस्सा है और अशांत भी है। चीन की योजना के अनुसार ग्वादर बंदरगाह से निर्मित व्यापारिक मार्ग चीन के काशगर तक जाता है। यह इलाका भी आतंकी गतिविधियों से त्रस्त है। ऐसे में व्यापार लाभ और संपर्क-संचार की मंशा इतनी आसानी से पूरी होने वाली नहीं है। परंतु भूमि एवं समुद्र, दोनों पर स्थित चाबहार बंदरगाह, ग्वादर बंदरगाह के मुकाबले न केवल अधिक सुरक्षित है, बल्कि चाबहार बंदरगाह अमेरिका के फ्लोरिडा राज्य के सुप्रसिद्ध मियामी की उसी अक्षांश पर स्थित होने के कारण आदर्श पर्यावरणीय और व्यापारिक परिवेश निर्मित करता है, जो भारत के लिए लाभप्रद हैं।

अमेरिका और ईरान के उतार-चढ़ाव भरे संबंध ईरान के चाबहार बंदरगाह की उपयोगिता पर सवालिया निशान लगा देते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ परमाणु समझौता खत्म कर दिया था। इसका असर भारत पर पड़ना स्वाभाविक था। अब ईरान के साथ कारोबार करने वाली कई अंतरराष्ट्रीय कंपनियां प्रतिबंध के दायरे में आ गई हैं। लेकिन भारत के विशेष आग्रह पर अमेरिका ने चाबहार बंदरगाह को ईरान पर लगे अमेरिकी प्रतिबंधों से मुक्त कर रखा है। यह भी भारत के लिए बड़ी कूटनीतिक उपलब्धि है। चाबहार के अस्तित्व में आने के बाद पाकिस्तान की शिकायती प्रतिक्रियाओं से स्पष्ट है कि इससे पाकिस्तान को काफी झटका लगा है। गौरतलब है कि चाबहार बंदरगाह के रास्ते भारत से अफगानिस्तान को 11 लाख टन गेहूं की पहली खेप अक्टूबर, 2017 में भेजी गई थी। चाबहार से गेहूं की पहली खेप अफगानिस्तान पहुंचने का असर पाकिस्तान पर यह पड़ा कि अफगानिस्तान ने इसके बाद पाकिस्तान से गेहूं खरीदना काफी कम कर दिया। इससे पेशावर की आटा मिलें बंद होने का सिलसिला शुरू हो गया। अफगानिस्तान भारतीय गेहूं को तजाकिस्तान की मिलों में पिसवा रहा है। हाल ही में भारत और ईरान ने फरजाद बी गैस फील्ड पर वार्ता तेज करते हुए दीर्घावधि रणनीतिक साझेदारी विकसित करने पर भी सहमति जताई है। भारत के लिए चाबहार के दरवाजे खुलना चीन और पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका है।

मनोविज्ञान की छांव

एकता कानूनगो बक्षी

दुनिया मेरे आगे

भविष्य की जरूरतों को देखते हुए स्कूल-कॉलेजों में पारंपरिक विषयों के अलावा कई नए विषय भी पढ़ाए जा रहे हैं। लेकिन एक जरूरी विषय मनोविज्ञान हम सबसे छूटता रहा है। हालांकि इस विषय को स्वतंत्र रूप से पाठ्यक्रम के प्रमुख विषयों के तौर पर चुनने में सुविधा होती है और इसमें डिप्लोमा, डिग्री और पीएचडी तक किया जा सकता है। लेकिन क्या यही समय नहीं है, जब इसे भी नैतिक शिक्षा, खेलकूद, पूरक भाषाओं के ज्ञान की तरह हरेक स्तर पर साथ-साथ पढ़ाया जाना शुरू कर दिया जाना चाहिए? नीतिशास्त्र (मॉरल साइंस) के रूप में एक पतली-सी पुस्तिका से हमारा परिचय प्रारंभिक शिक्षा के दौरान जरूर करवाया जाता है, जिसमें जीवन मूल्यों से लेकर सामान्य शिष्टाचार, लोक व्यवहार आदि जैसे महत्त्वपूर्ण विषयों को कुछ समय में घुट्टी पिला कर पढ़ा भर देने की औपचारिकता संपन्न करा दी जाती है। अगर इस विषय को गंभीरता से लिया जाता तो समाज में आत्महत्या, निराशा, क्रोध, बलात्कार, शोषण, मॉब लिंचिंग जैसी घटनाओं के समाचार आए दिन नहीं सुनने को मिलते।

हुआ कुछ यों कि शॉर्ट-कट में सफलता के लिए हमने ऊपरी ढांचा बहुत मजबूत और आकर्षक बना लिया, पर अंदर से सब खोखला रह गया। जरा-सी विपरीत परिस्थिति हमें हिला देती है, विवेक और पर्याप्त सोच-विचार और अच्छे-बुरे का अनुमान लगाए बिना हम जल्दबाजी में गलत और आत्मघाती निर्णय ले लेते हैं। यह दुखद है कि वर्तमान शिक्षा व्यवस्था ने किताबी ज्ञान और स्वस्थ शरीर बनाने को तो प्राथमिकता में रखा, लेकिन मन की मजबूती के लिए कुछ खास नहीं किया गया। हमने शिक्षा के दौरान दुनिया भर के बारे में बहुत कुछ जान लिया, लेकिन खुद को नहीं समझ पाए। ऐसी स्थिति में दूसरे के मन और उनकी भावनाओं को समझने की क्षमता का विकास तो बहुत दूर की बात है।

हम अक्सर देखते हैं कि कुछ लोग खुद तो प्रसन्न, संतुष्ट और खुश रहते ही हैं, अपने आचरण और व्यवहार से अन्य के चेहरों पर भी मुस्कुराहट बिखेर देते हैं। सामान्य से मनोविज्ञान का आम आदमी के जीवन में कितना महत्त्व है, उसे एक उदाहरण से समझा जा सकता है। समर्थ और संपन्न परिवार के एक बुजुर्ग हैं, जिनकी देखभाल के लिए सब लोग जुटे रहते हैं। समय पर दवा, खानपान का ध्यान, अच्छे कपड़े, पर्याप्त साफ-सफाई होने के बावजूद उनकी सेहत गिरती गई। अनेक डॉक्टरों को दिखाने के बाद भी खास फर्क नहीं पड़ा। एक दिन उनके यहां एक पुराने मित्र मिलने आए तो खूब पुरानी बातें हुईं, ठहाके लगे। परिणाम यह रहा कि दूसरे दिन उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स में काफी अंतर देखा गया। अगर घर के सदस्यों को बुजुर्ग सदस्य की मनःस्थिति थोड़ी-बहुत भी समझ आए तो परिस्थिति काफी बेहतर हो सकती है। दवा के साथ कुछ पल सुख-दुख की बातें, कुछ हंसी-मजाक, यह सब कितना जरूरी है, हम सब जानते हैं। अगर हममें थोड़ी भी मनोविज्ञान की समझ है तो हम बीमार से कभी भी उसकी बीमारी संबंधी अधिक बातचीत नहीं करेंगे। उससे वैसी बात करेंगे, जिससे उसके भीतर उत्साह का संचार हो सके और वह अपने आपको बेहतर महसूस कर सके।

घर के बच्चों के साथ भी हमारा व्यवहार तभी सही हो सकता है, जब हमने थोड़ा-बहुत बाल मनोविज्ञान को समझने की कोशिश की हो। अक्सर देखा गया है कि माता-पिता की नजर बच्चे के किसी एक या दो पक्ष पर केंद्रित हो जाती है। जबकि समय के साथ कई बदलाव बच्चे में आते रहते हैं। उसके मनोभावों को समझना और उसके दोस्त बन कर रहना, इसके लिए हमारे अंदर बच्चे के मन को समझने की क्षमता की जरूरत है। जब हम खुद को ही नहीं समझ पा रहे हैं, तब उसकी मनःस्थिति को समझना हमारे लिए बहुत कठिन होगा।

हमारे यहां संस्थाओं में मानव संसाधन विकास विभाग होता है, लेकिन बहुत कम ऐसी संस्थाएं हैं जहां यह विभाग कर्मचारियों संबंधी आंकड़ों के व्यवस्थापन के अलावा अपने कार्मिकों के मन की क्षमताओं के विकास के लिए कुछ अलग से प्रयास करता होगा। यह एक ऐसा विषय है, जिसमें लगातार सीखते और शोध करते रहने की जरूरत है। मनोविज्ञान की पढ़ाई करने वाले विद्यार्थी भी अक्सर अपने ही मन की गुत्थी सुलझाने में सफल नहीं हो पाते। मनोविज्ञान हमें खुद से और लोगों से जोड़ने का माध्यम होता है।

मनोवैज्ञानिक दृष्टि से सोचने-समझने में दूसरों के कहे को ध्यान से सुनना भी बहुत महत्त्वपूर्ण होता है। केवल पुस्तकें पढ़ कर हम मनोविज्ञान को समझ नहीं सकते। हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम अच्छे श्रोता भी बन सकें। साथ ही अपने भीतर की आवाज को भी गहरे उतर कर सुनें। दूसरे को जब सुनें, तब सिर्फ उसके शब्दों को नहीं, उसके अर्थों, कारण और परिस्थिति को भी सुनें, जो उसे यह सब कहने और करने को मजबूर कर रहा है। परिणामस्वरूप हमारे अंदर विवेकशीलता आएगी और सही निर्णय लेंगे और क्रोध, आक्रोश भी खत्म हो सकेगा।

अगर हम मनोविज्ञान की थोड़ी भी समझ रखते हैं तो उनकी परेशानियों को वास्तविकता से समझ कर उनकी हौसला अफजाई करेंगे। जब हम खुद के और दूसरों के मन को, उनकी परेशानियों को समझ लेंगे तो और अधिक स्वाभाविक हो सकेंगे। एक-दूसरे का बेहतर खयाल रख सकेंगे, मनुष्य को मनुष्य की तरह देख पाएंगे, जिम्मेदार बनेंगे, पूर्वाग्रहों से बचेंगे। शायद इसी तरह जीवन की कई मुश्किलों से भी बचा जा सकता है। बीता सो बीता, कम से कम अब नया हो!

आतंक की राह

हाल ही में दुनिया के सबसे खूंखार माने जाने वाले आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट (आइएसआइएस) के बिल्कुल नए मॉड्यूल का भंडाफोड़ करके राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) और उत्तर प्रदेश पुलिस के आतंक रोधी दस्ते ने बड़ी सफलता हासिल की है। ऐसे समय में, जब कुछ वर्षों से भारत के विभिन्न हिस्सों, खासकर कश्मीर, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना और महाराष्ट्र में कई बार आईएस के नए मॉड्यूल के सक्रिय होने की बात आ चुकी हो, तब यह बड़ी सफलता जरूर कही जा सकती है। लेकिन महज इससे संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता। गौरतलब है कि एनआइए ने तथाकथित हरकत-उल-हर्ब-ए-इस्लाम के जिन दस लोगों को गिरफ्तार किया वे मध्यवर्गीय परिवारों से हैं। इनमें कुछ पढ़े-लिखे भी हैं और एक तो इंजीनियरिंग का छात्र बताया जा रहा है। यानी इस धारणा को सही नहीं ठहराया जा सकता कि केवल गरीब और अशिक्षित युवा आसानी से गुमराह होकर आतंक की राह पर चले जाते हैं।

ऐसी घटनाओं के बाद एक संवेदनशील नागरिक के मन में सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिर वे कौन से कारण हैं जो हमारे मुसलिम नौजवानों को आतंकी बनने के लिए प्रेरित कर रहे हैं? दूसरा प्रश्न यह है कि भारत जैसा देश जो धर्मनिरपेक्ष राज्य होने की पहचान रखता है, वहां आतंकवाद की राह पकड़ने वाले मजहब की आड़ लेने में सफल कैसे हो जाते हैं? स्पष्ट है कि हमारे समाज और शासन व्यवस्था को न केवल उन कारणों की पहचान करनी होगी, बल्कि उनका निवारण भी करना होगा जिनके चलते पढ़े-लिखे और आर्थिक तौर पर समर्थ युवा आतंक की राह पर जा रहे हैं।

जैसा कि हम जानते हैं, किसी भी युवक के लिए 20 से 30 साल की उम्र अपने लक्ष्य का पीछा करने का सर्वोत्तम समय है। इससे पहले का समय लक्ष्य तय करने का होता है। इस दौरान भौतिकतावादी मूल्यों का सिर चढ़ना आम है। इसे नियंत्रित किए जाने की आवश्यकता है। दूसरा, हमें अपने दैनिक जीवन में जीवन-यापन व निश्चित लक्ष्य के लिए अधिक से अधिक धन कमाने के साथ नैतिक मूल्यों के समावेश पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। नैतिक मूल्यों के विकास में हमारी शिक्षा और परिवार जैसी सामाजिक संस्थाएं महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। ऐसे में मजहबी रहनुमाओं का यह नैतिक दायित्व बनता है कि वे सामने आएं और युवाओं को समझाएं कि हिंसा का किसी भी धर्म में कोई स्थान नहीं है। इसी के साथ अगर हमारा फिल्मोद्योग और वैश्विक बिरादरी साझे रूप से आतंक के विरोध का बीड़ा उठाएं तो निश्चित ही नए वर्ष में देश की धर्मनिरपेक्षता और आंतरिक सुरक्षा को चुनौती देती ऐसी घटनाओं को कम किया जा सकता है और एक सशक्त नए भारत का निर्माण किया जा सकता है।

● *विनोद राठी, रोहतक, हरियाणा*

खंडित संकल्प

हर नया साल नई उम्मीदें और अवसर लेकर आता है। इस मौके पर सभी में काफी जोश और उत्साह देखा जाता है। कुछ लोग नववर्ष पर संकल्प लेते हैं लेकिन उनमें से अधिकांश संकल्प टूट जाते हैं। आधे-अधूरे मन से लिए गए संकल्पों का टूटना स्वाभाविक है। नववर्ष एक अच्छा अवसर होता है जब अपनी बुरी आदतों को त्यागने और जीवनचर्या में सुधार के संकल्प लिए जाने चाहिए। संकल्प सालभर चल सके इसके लिए जरूरी है कि पहले से तैयारी करें और दृढ़ इच्छाशक्ति से काम लें। इसीलिए वादे और संकल्प करने से पहले आत्मनिरीक्षण जरूर करना चाहिए।

● *गीता आर्य, बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश*

सीधी चुनौती

बुलंदशहर हिंसा के कुछ ही दिन बाद उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में एक सिपाही की हत्या कर दी गई। इससे साफ है कि भीड़ में कानून का खौफ जरा भी नहीं रहा है। कैसी विडंबना है कि जो पुलिस जनता की सुरक्षा के लिए होती है वह खुद असुरक्षित है! यह कानून को दी जाने वाली सीधी चुनौती है। ऐसे हमलों के लिए जिम्मेदार तत्त्वों से पुलिस को सख्ती से निपटना चाहिए।

● *हिमांशु रंजन, इलाहाबाद विश्वविद्यालय*

घाव पर मरहम

भारतीय अर्थव्यवस्था की नब्ज कहे जाने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की हालत चिंताजनक है। वित्तीय संकट के जाल में उलझे इन बैंकों का वर्ष 2017-18 के दौरान कुल घाटा 85370 करोड़ रुपए रहा। इस घाटे में सबसे बड़ा हिस्सा पंजाब नेशनल बैंक का, लगभग 12282 करोड़ रुपए है और यही वह बैंक है जो नीरव मोदी घोटाले का शिकार हुआ। आंकड़े के मुताबिक 2017-18 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के 21 में से 19 बैंकों ने घाटा दर्ज किया। बैंकों की इस दिवालियापन जैसी हालत का जिम्मा कहीं न कहीं उनके आका यानी सरकार पर ही है। अब जबकि यह सब कुछ सरकार को संभालना था तो उसने तत्काल सार्वजनिक क्षेत्र के ग्यारह बैंकों को 'प्रांप्ट करेक्टिव एक्शन' के अंदर धकेल दिया यानी उन बैंकों के कर्ज देने और शाखा-विस्तार जैसे अधिकारों पर अंकुश लगा दिया। साथ ही, चालू वित्तीय वर्ष के अंत में सरकार ने बैंकों पर मरहम लगाने की कवायद शुरू कर दी है।

सरकार इन बैंकों को 83000 करोड़ रुपए मुहैया कराने की योजना बना चुकी है। हाल ही में उसने 'अनुपूरक अनुदान योजना' के जरिए सरकारी बैंकों में 41000 करोड़ की पूंजी डालने के लिए संसद की मंजूरी मांगी है। इस मरहम से सरकार बैंकों को जीवनदान तो दे देगी लेकिन सवाल है कि बैंकों की इस दशा का जिम्मेदार कौन है? खुद बैंक या सरकार का जरूरत से ज्यादा दखल? साथ ही, बैंकों पर से उठे विश्वास को कौन वापस लाएगा? हाल ही में मेरे एक पढ़े-लिखे मित्र तक ने कभी नामी रहे एक बैंक में पैसा न रखने की हिदायत दे डाली। साफ है कि ऐसे में जनता का विश्वास वापस लाना एक चुनौती है। इन सारे सवालों के बीच बैंकों से अपेक्षा है कि फिर ऐसी स्थिति से बचने के लिए फूंक-फूंक कर कदम उठाएं और अर्थव्यवस्था को बैंकों से जिस गति की उम्मीद है उसे वे प्रदान करें।

● *संजय दूबे, गुरुग्राम, हरियाणा*

सड़कों पर आलू

बाजार में नए सीजन का आलू मिलने से अब पुराने आलू की कीमत गिरती जा रही है। किसानों ने पुराने आलू को कोल्ड स्टोर में रखने के लिए भारी कीमत चुकाई है पर अब उन्हें कम दाम पर आलू बेचने पड़ रहे हैं। पिछली बार भी ऐसे हालात थे कि किसान सड़कों पर आलू फैंकने को मजबूर हो गए थे। वही आसार अब नजर आ रहे हैं। आखिर किसानों को उनकी उपज का वाजिब दाम कब मिलेगा?

● *साक्षी दुबे, खालसा कॉलेज, नई दिल्ली*

किसी भी मुद्दे या लेख पर अपनी राय हमें भेजें। हमारा पता है : ए-8, सेक्टर-7, नोएडा 201301, जिला : गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश

आप चाहें तो अपनी बात ईमेल के जरिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। आइडी है : chaupal.jansatta@expressindia.com